



UPMP040065472026

न्यायालय J.M.Ist class-cum-Addl.Munsif V, Mainpuri
पीठासीन अधिकारी- (SMT. PREETI SHUKLA) - उ०प्र० न्यायिक सेवा - UP04691

Bail Application/1858/2026
State Of U.P Vs. Pawan Kuamr

अपराध सं०-61/2026
अ०धारा-281,125(b),324(2) **BNS**
थाना - बिछवां, जिला - मैनपुरी।

दिनांक-04.04.2026

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त पवन कुमार पुत्र केशव सिंह निवासी नगला देवी थाना बिछवां जिला मैनपुरी ने अ०संख्या-61/2026 अंतर्गत धारा-281,125(b),324(2) **BNS** थाना-बिछवां, जिला मैनपुरी के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायालय उपस्थित आया।

जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को उपरोक्त अपराध में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी पर लगाया गया जुर्म जमानती अपराध है। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है तथा जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। अतः प्रार्थी द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से कथन किया गया है कि अपराध जमानतीय है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त पवन कुमार अ०संख्या-61/2026 अंतर्गत धारा-281,125(b),324(2) **BNS** थाना-बिछवां, जिला मैनपुरी के मामले में अभियुक्त है।

अभियोजन पक्ष ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त जमानत का दुरुपयोग करते हुए साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा। अतः जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाना का आधार पर्याप्त है। मामले के समस्त तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए निम्न शर्तों के अधीन अभियुक्त को जमानत का पर्याप्त आधार है, जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

1. अभियुक्त जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा।
2. अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के पश्चात पुनः इस तरह के आपराधिक क्रिया-कलाप में सम्मिलित नहीं होगा।
3. अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

आदेश

अभियुक्त पवन कुमार की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को 25,000/-रु का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

(अपर्णा सिंह)

प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज (अवर वर्ग)
कोर्ट संख्या-5, मैनपुरी